प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 33 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 13 – 20 अगस्त 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या बड़े बाबूओं पर कोई कानून लागू नही होता–सानन को मिली टीडी से उठा सवाल

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अभी 8.8.2018 को एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के सदस्य है सेवानिवृत पूर्व मुख्य सचिव श्रीमति आशा स्वरूप, श्रीमति राजवन्त संधू और सेवानिवृत अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन। यह कमेटी मुख्यन्त्री की ओर से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का रिव्यू और इसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमन्त्री को सौंपेगी। अभी तत्काल प्रभाव से यह कमेटी प्रधानमन्त्री फसल बामी योजना, कौशल विकास योजना और स्वच्छ भारत अभियान का रिव्यू करके 25 सितम्बर को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौपेगी। कमेटी के सदस्य इकक्ठे मिलकर भी और अकेले – अकेले भी यह रिव्यू कर सकते हैं यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया है।

दीपक सानन को इससे पहले हिप्पा में भी एक ऐसी ही जिम्मेदारी दी गयी है। स्मरणीय है कि सानन एचपीसीए के एक मामले मे भी अभियुक्त नामज़द हैं और संभवत: इसी कारण से वीरभद्र शासन में मुख्य सचिव की ताजपोशी के लिये नज़रअन्दाज हुए थे। जब वीसी फारखा को मुख्य सचिव बनाया गया था। तब उनकी नियुक्ति को कैट में चुनौती देने वालो में विनित चौधरी के साथ सानन भी शामिल थे। उस समय 24.10.2016 से 24.1.2017 तक सानन छुट्टी पर रहे थे और 31.1.2017 को सेवानिवृत हो गये थे। जयराम सरकार ने फरवरी 2018 में सानन की यह छुट्टी स्टडीलीव करार दे दी है। जबकि नियमों के मुताबिक जब किसी अधिकारी/कर्मचारी का कार्यकाल केवल दो वर्ष रह जाता है तब उसे स्टडीलीव नही मिलती है। सानन को सेवानिवृति के एक सप्ताह पहले तक दिया गया स्टडीलीव लाभ प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है।

दीपक सानन ने भू – सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत अनुमति लेकर शिमला के कुफरी क्षेत्र में ज़मीन भी खरीद रखी है। यहां पर मकान बनाने के लिये सानन ने 4.11.2004 को टीडी के तहत लकड़ी के लिये आवेदन किया था उनके इस आवेदन पर उन्हें 16.12.2004 को यह लकड़ी मिल भी गयी थी। सानन स्यंव सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व रह चुके हैं और अच्छी तरह जानते है कि धारा 118 के तहत ज़मीन खरीद कर टीडी की पात्रता नही बनती। प्रदेश में हज़ारों लोग 118 के तहत अनुमति लेकर ज़मीन खरीद चुके हैं लेकिन किसी को भी सरकार ने टीडी की पात्रता नही दी है। क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ही नही। बल्कि इस तरह टीडी का लाभ लेना अपराध की श्रेणी में आता है और कई लोग इसके के लिये सज़ा भी भोग चुके हैं।

दीपक सानन को जिस तरह से जयराम सरकार एक के बाद एक जिम्मेदारी देती जा रही है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उन पर अच्छा भरोसा जता रही है। लेकिन यह भरोसा सार्वजनिक जिम्मेदारीयों को लेकर है इसलिये यह हरेक का सरोकार है। यदि जयराम उन्हे अपनी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपे तो उस पर किसी को भी कोई एतराज नही हो सकता। लेकिन जब सरकार की ओर से किसी को भी ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जायेगी तो स्वभाविक रूप से उस पर सवाल उछलेंगे ही। ऐसे में आज जयराम सरकार की यह सार्वजनिक जबावदेही बनती है कि उसने सारे नियमों/कानूनों को ताक पर रखकर फरवरी में सत्ता संभालने के दो माह बाद दीपक सानन को स्टडीलीव का लाभ देकर सरकारी खज़ाने को करीब आठ लाख का नुकसान क्यों पंहुचाया। क्योंकि यह लाभ आपने दिया है। सानन ने 2004 में टीडी लाभ लेकर भी सरकारी खज़ाने को नुकसान पंहुचाया है उस समय किसके प्रभाव में उन्हें यह लाभ दिया गया? इसके लिये उन्होने स्वयं अपने पद का दुरूप्योग किया है क्योकि वह जानते थे कि वह टीडी के पात्र नही हैं। यहां यह भी सवाल उठता है कि आज जब सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारीयां सौंपी है तब क्या सरकार को इसकी जानकारी नही रही है।

सानन की नियुक्ति मुख्य सचिव के हस्ताक्षरों से हुई है। स्टडीलीव का लाभ भी उनके अनुमोदन से मिला है। इसलिये यह माना जा रहा है कि सानन द्वारा लिया गया टीडी लाभ भी उनकी जानकारी में रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस तरह के कार्यो से सरकार क्या संदेश देना चाह रही है। एक ओर तो सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरैन्स के दावे कर रही है और दूसरी ओर इस तरह की भ्रष्टता को संरक्षण दे रही है। क्या ऐसी नियुक्तियों पर मुख्यमन्त्री को उनके सलाहकारों द्वारा कोई राय नही दी जा रही है? क्या प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव भी ऐसे मामलों में सही जानकारियां उनके सामने नही रख रहे हैं। इस समय प्रदेश में कई ऐसे मामले भी हैं जहां 118 के तहत अनुमति लेकर मकान बनाने के लिये ज़मीने तो खरीद ली गयी परन्तु एक दशक से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी उस ज़मीन पर मकान नही बना है। जबकि 118 में अनुमति लेकर यह अनिवार्य है कि यदि दो वर्ष के भीतर जमीन पर उस उद्देश्य की पुर्ति के लिये कोई कदम न उठाया जाये तो अनुमति रद्द करके ज़मीन को बिना शर्त सरकार के अधिकार में ले लिया जाता है। लेकिन जयराम सरकार ऐसे सारे मामलों पर आंखे बन्द करके बैठी हुई है।

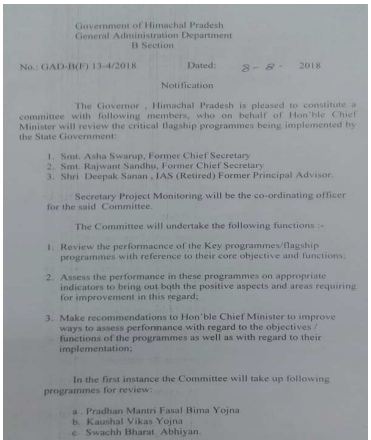

Government of Himachal Pradesh
General Administration Department
B Section

No.: GAD-B(F) 13-4/2018 Dated: 8-8-2018

Notification

The Governor , Himachal Pradesh is pleased to constitute a committee with following members, who on behalf of Hon'ble Chief Minister will review the critical flagship programmes being implemented by the State Government:

1. Smt. Asha Swarup, Former Chief Secretary
2. Smt. Rajwant Sandhu, Former Chief Secretary
3. Shri Deepak Sanan , IAS (Retired) Former Principal Advisor.

Secretary Project Monitoring will be the co-ordinating officer for the said Committee.

The Committee will undertake the following functions :-

1. Review the performacnce of the Key programmes/flagship programmes with reference to their core objective and functions;
2. Assess the performance in these programmes on appropriate indicators to bring out both the positive aspects and areas requiring for improvement in this regard;
3. Make recommendations to Hon'ble Chief Minister to improve ways to assess performance with regard to the objectives / functions of the programmes as well as with regard to their implementation;

In the first instance the Committee will take up following programmes for review:

a . Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna
b. Kaushal Vikas Yojna
c Swachh Bharat Abhiyan.

The Committee may meet jointly or severally in performing its functions and submit its report to the Hon'ble Chief Minister by 25th September,2018 following its meetings containing its assessment, recommendations about the programmes and develop milestones to be achieved in the future.

By Orders

Vineet Chawdhry
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.: As above Dated: 8-8-2018.

Copy for information and necessary action is forwarded to :-

1. The Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
3. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. The ACS –cum- Pr. Secretary to Chief Minister, H.P. Shimla-2.
5. The PS to all the Minister, H.P.Shimla-2.
6. All the Administrative Secretary to the Government of H.P. Shimla-2.
7. All the HODs/Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
8. All the members of the Committee.
9. Guard File.

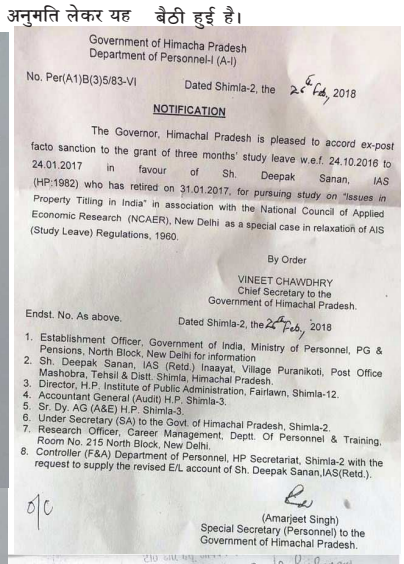

(Dr. R N Batta)
Secretary (GAD & Proj.Moni) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621873

Government of Himacha Pradesh
Department of Personnel-I (A-I)

No. Per(A1)B(3)5/83-VI Dated Shimla-2, the 26th Feb, 2018

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accord ex-post facto sanction to the grant of three months' study leave w.e.f. 24.10.2016 to 24.01.2017 in favour of Sh. Deepak Sanan, IAS (HP:1982) who has retired on 31.01.2017, for pursuing study on "Issues in Property Titling in India" in association with the National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi as a special case in relaxation of AIS (Study Leave) Regulations, 1960.

By Order

VINEET CHAWDHRY
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above. Dated Shimla-2, the 26th Feb, 2018

1. Establishment Officer, Government of India, Ministry of Personnel, PG & Pensions, North Block, New Delhi for information
2. Sh. Deepak Sanan, IAS (Retd.) Inaayat, Village Puranikoti, Post Office Mashobra, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
3. Director, H.P. Institute of Public Administration, Fairlawn, Shimla-12.
4. Accountant General (Audit) H.P. Shimla-3.
5. Sr. Dy. AG (A&E) H.P. Shimla-3.
6. Under Secretary (SA) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
7. Research Officer, Career Management, Deptt. Of Personnel & Training, Room No. 215 North Block, New Delhi.
8. Controller (F&A) Department of Personnel, HP Secretariat, Shimla-2 with the request to supply the revised E/L account of Sh. Deepak Sanan,IAS(Retd.).

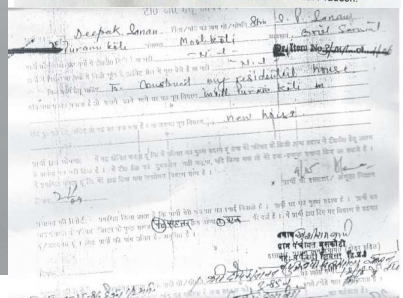

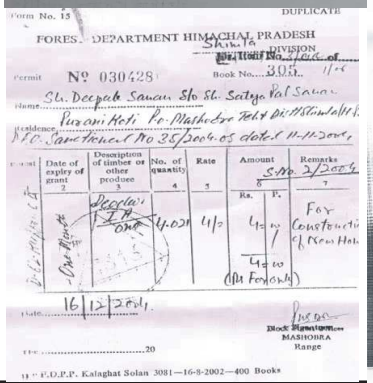

(Amarjeet Singh)
Special Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

Form No. 15 DUPLICATE

FOREST DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH
Shimla DIVISION

Permit Nº 030428 Book No. 305

Name Sh. Deepak Sanan S/o Sh. Satya Pal Sanan

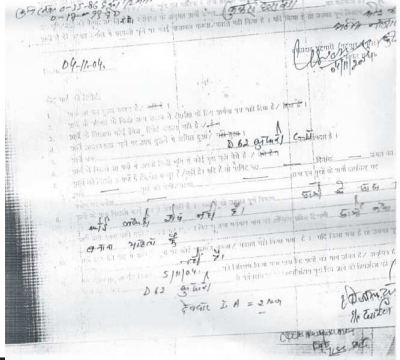

किशन कपूर ने विकास कार्यों की कछुआ चाल पर लगायी लताड़

शिमला/शैल। खाद्य आपूर्ति मन्त्री किशन कपूर ने मौके पर जाकर भागसु नाग मन्दिर, अधन्जर महादेव

मन्दिर और साथ लगते क्षेत्र के सौन्दर्यकरण कार्य सहित अन्य विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। पर्यटन अधोसंरचना विकास निवेश परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इन परियोजनाओं पर करीब 10 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। जिसमें भागसु नाग मन्दिर एवं साथ लगते क्षेत्र के विकास पर 3. 48 करोड़ रुपये औरअधन्जर महादेव मन्दिर के सौन्दर्यकरण पर 7.33 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं।

किशन कपूर ने कार्यों की धीमी गति पर ठेका लेने वाली एजेन्सी के पदाधिकरियों को फटकार लगाई और ठेकेदार को कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये।

उन्होंने एशियाई विकास बैंक के पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि जानबूझ कर कार्य लटकाने और लापरवाही पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए। विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाए और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाना तय करें ताकि लोगों को असुविधा ना हो।

कपूर ने कहा कि विकास परियोजनाओं पर लोगों की खून पसीने की कमाई खर्च होती है, किसी भी कीमत पर धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नही किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने केरल सरकार को 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित केरल राज्य को हिमाचल प्रदेश की ओर से 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण केरल में स्थितियां काफी नाजुक हैं लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में सारा देश केरल के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे और केरल सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों का पुनर्वास प्राथमिकता के आधार पर करेगी।

केलंग में राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव का शुभारम्भ

शिमला/शैल। सूचना प्रोद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकंण्डा ने केलंग में राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव का शुभारम्भ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शणियों का भी शुभारम्भ किया। उत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया जिसमें घाटी के लागों ने पारम्परिक परिधानों में भाग लिया। डॉ. मारकंडा ने तीन दिन तक चलने वाले उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी दीप प्रज्जवलित कर किया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा उत्सव के अवसर पर तैयार की गई स्मारिका का भी विमोचन किया। उन्होंने किन्नर हंस द्वारा तैयार की गई स्थानीय लोक गीतों की सीडी तथा स्थानीय लामा द्वारा लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यकारी उपायुक्त अमर नेगी ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेट कर स्वागत किया। इससे पूर्व डॉ. मारकंडा ने भुजंड तथा तिन्दी में लोगों की समस्याऐं सुनी तथा विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निपटारे के आदेश दिए। उन्होंने भुजंड में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 3 लाख तथा अप्पर व लोअर महिला मंण्डल भुजंड के लिए 15 – 15 हजार रू. की राशि स्वीकृत की।

युवाओं को सद्मार्ग पर चलाना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धाजंलि- गोविन्द सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। वन,परिवहन, युवा सेवाएं तथा खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए

असंख्य वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। देश को विश्व गुरू के पद पर स्थापित करना तथा युवाओं को सद्मार्ग पर चलाना ही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धाजंलि होगी। गोविन्द सिंह ठाकुर कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हुड़ंग के कण्डा में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कण्डा में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी को दलगत राजनीति से उपर उठकर राष्ट्रहित में चिन्तन तथा कार्य करने का प्रण लेना होगा। इसी प्रयास से देश को समग्र एवं संतुलित विकास का अगुआ बनाया जा सकेगा।

वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में हिमाचल में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार हुआ है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण, परिवहन तथा खेलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कण्डा में खेल मैदान के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने युवक मण्डल कण्डा को 31,000 रुपए, स्थानीय विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को 21,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया।

प्रेरणास्रोत बनी बेटियां अभियान का शुभारंभ

हमीरपुर/शैल। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का प्रेरणास्रोत बनाने के लिए एक अभियान का शुभारंभ भी शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी के कर कमलों से हुआ। इसमें हमीरपुर जिला की डा सोनिका राणौत एमडी, वरिष्ठ प्रोजेक्ट अधिकारी यूनडीपी, मिस ईशिता राणा आर्मी कैप्टन, मिस शीतल डटवालिया लेफ्टिनेंट आर्मी मेडिकल कोर, मिस शिखा शर्मा इंडियन रेवन्यू सर्विस, मिस दीपका राठौर सहायक कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का आईकन बनाया गया है। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि हमीरपुर जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विभिन्न प्रकल्प भी आरंभ किए गए हैं तथा अस्सी प्रतिशत से ज्यादा अंक लेने वाली बेटियों को कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी दी जा रही है।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
भेपेश
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER NAHAN

Sealed item rate tender on form No.6 and 8 are hereby invited on behalf of Governor of Himachal Pradesh for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD., So as to reach in this office on or before 10.9.2018 up to 11.00 A.M. and tender will be opened on the same day at 12.00 Noon in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment (non refundable) up to 05.00 pm on or before 7.9.2018.

The earnest money in the shape of F.D.R./time deposited in HP duly pledged in favour of Executive Engineer, Nahan Division, HP. PWD., Nahan must accompany with each tender. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The undersigned reserve the right to reject any or all tender without assigning any reasons. The offer of the tender will be kept opened for 120 days.

Work No.1:- A/R & M/O to BanogSurla K.W. Bhood road Km.0/0 to 15/0.(SH:-C/O R/wall in RD.7/365 to 7/380), **Estimated cost:-** 499571/- **Earnest Money:-** 10,000/- **Time limit:-** one month, **Cost of tender form:**-350/-

Work No.2:- R/R damages to Shambhuwala Kun Nehrla road Km.0/0 to 7/040.(SH:_C/O R/walls at 1/0 to 1/030), **Estimated cost:-** 4,07,242/- **Earnest Money:-** 8,500/- **Time limit:-** One month, **Cost of tender form:**-350/-

Terms & Conditions:-

1.The Contractors/Bidders must quoted their Permanent Income Tax Account Number/EPF No./GST number on the tender along with the copy of the same be attached with the application.
2. The Contractors/Firms should attach copy of the Registration/Renewal with the application.
3. The Contractors/Bidders should quote his rates Both in Figures and words. Where there is any discrepancy between the rates in figures and words, the rates in words will be governed.
4. Contractors/Bidders must inspect the site to ascertain/familiar the site conditions, accessibility etc. before quoting the bid/tender.
5. Conditional and telegraphic tender shall not be accepted and rejected straightway. Tender received after due date and time will be rejected.
6. The contractor/firms should have to produce the details of works in hand in HP. PWD., and its position thereof along with applications.
7. The tender documents shall be issued to only those contractorsWho does not have more then two works in hand in any PWD Circle/ Division worth Rs.1.00 crore each.
8. The contractor shall have to establish testing laboratory at site for the day to day testing of the material.
9. The offer shall remain valid up to 120 days.
10. Executive Engineer reserve the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons.

Adv. No.-1947/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER

Sealed item rate tender on the prescribed form, terms and conditions mentioned in form-6&8 are hereby invited for the following works by the Executive Engineer, Electrical Division No.II HPPWD Shmla-2 from the firms/contractors enlisted with PWD(Electrical), so as to reach in the office of the XEN(1)Tender documents consisting of plans classes of work to be done and set of terms and conditions of contract to be complied with by the contractor/firms whose tender may be accepted and other necessary documents can be seen in the office of the XEN between hours of 11.00 AM to 4.00 PM except on Sundays and public holidays. (2) The firm /contractor who are not registered under GST and have not cleared all the dues on account of GST shall not be issued the tender documents(3) The contractor who has no registration certificate with Excise and taxation department of HP will not be issued the tender documents (4) Tenders placed in sealed envelope with name of work and due date written on the envelope will be received by the XEN and will be opened by him or his authorized representative in his office in the presence of contractors, present if any. (5)The earnest money in the shape of NSC/Time deposit account /saving account in any of the post offices of HP duly pledged in favour of XEN must accompany with the tender in the separate envelope. The tenders without earnest money will summarily be re-jected. (6)) In case of holiday, the tenders shall be sold/received and opened on the next working day.(7)Tenders of contractors who quote two or more than two rates for any item of work shall be rejected. (8) The competent authority on behalf of Governor of H.P reserves the right to reject any or all the tenders received without assigning any reason. (9) Tender forms shall be sold to only those contractors who deposit earnest money in any of the prescribed modes simultaneously at the time of sale of tender documents.

(i) Last date of receipt of application:	10.09.2018 Up to 1.00 P.M
(ii) Date of sale of tenders	10.09.2018. Up to 2 PM to 5.00 PM
(iii) Last date of receipt of bids: -	12.09.2018 Upto10.30 A.M
(iv) Date of bid opening: -	12.09.2018 AT 11.30 A.M

Work No.(1) Construction of Science block building to Govt.Sr.Secy.School at Pooh n District Kinnaur(HP)(SH:Providing electrical installation therein) **Estimated cost** Rs.4,37,246/- **Earnest money** Rs.8800/- **Time:**1 Year. **Cost of form** Rs.350/NR

Work No. (2) Replacement of old damaged/outdated damaged fittings with energy efficient LED fittings in HPPWD rest house at Taklech in Tehsil Rampur Distt.Shimla. **Estimated cost** 2,73,729/-**Earnest money** Rs.5500/-**Time:** 3 months. Cost of form Rs.350/-NR

Work No.(3) Replacement of old damaged/outdated fitting in HPPWD rest house at Neether Distt.Kullu(HP) **Estimated cost** Rs. 3,22,367/-**Earnest money** Rs.6500/- **Time:**3 Month. **cost of form** Rs.350/NR

Work No. (4) Replacement of old/outdated /damaged fitting with energy efficient LED fittings in HPPWD rest house at Balhi in Tehsil Rampur Distt.Shimla. **Estimated cost** Rs.3,84,936/- **Earnest money** Rs.7700/- **Time:**3 Month. **Cost of form** Rs.350/NR

Work No. (5) Providing rewiring in 2nd floor of block-B at IGMC Shimla. **Estimated cost** 3,56,546/-**Earnest money** Rs.6100/- **Time:**3 months. **Cost of form** Rs.350/NR

Work No. (6) Providing EI and AC in ward converted in children ICU at Pedatries surgery at IGMC Shimla **Estimated cost** Rs.4,00,950/- **Earnest money** Rs.8100/ -**Time:** 6 months. **Cost of form** Rs.350/NR

Adv. No.-1917/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

बारिश के कारण 775 करोड़ रुपये का नुकसान:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने राज्य उच्च मार्गों तथा राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर भू-स्खलन से निपटने के लिए अधिकारियों को तत्काल श्रमशक्ति व मशीनरी तैनात

करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि विशेषकर राष्ट्रीय उच्च मार्गों व अन्य व्यस्त सड़कों पर यातायात नियमित करने के लिए पग उठाए जाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भू-स्खलन के कारण प्रभावित सड़कों को बहाल करने के लिए और अधिक मशीनरी लगाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जल आपूर्ति योजनाओं को तुंरत बहाल करने और राज्य विद्युत बोर्ड को तत्काल विद्युत आपूर्ति बहाल करने को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बचाव, बहाली व पुनर्वास कार्यों के लिए 96.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण 775 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पुनःस्थापन कार्य के लिए अभी तक 229 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को असुरक्षित पेड़ों को तुंरत हटाने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की जान-माल की क्षति से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश भर में सभी स्कूल बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नम्बर 1077 स्थापित किया गया है ताकि वर्षा के कारण हुए नुकसान पूर्वनुमान की सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़कों के अवरूद्ध होने के कारण सेब की ढुलाई में किसी प्रकार की बाधा नही आना सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सेब उत्पादक क्षेत्रों में अवरूद्ध सड़कों को तत्काल बहाल करने के भी निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी तथा मनीषा नंदा, उपायुक्त अमित कश्यप, विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन डी. सी. राणा व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

प्रदेश में गैस सिलेण्डरों का निरीक्षण 98 सिलेण्डर जब्त

शिमला/शैल। एक विशेष निरीक्षण अभियान के अन्तर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और माप-तोल संगठन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रत्येक जिला में गैस सिलेण्डरों का भार सम्बन्धी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रदेश में कुल 74 स्थानों पर निरीक्षण किया गया, और इस दौरान 2311 गैस सिलेण्डर चैक किए गए। इनमें 98 सिलेण्डरों में अधिक या कम गैस पाई गई, जिन्हें तुरंत मौके पर ज़ब्त किया गया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि गैस सिलण्डरों के वजन बारे में अगर उन्हें कोई शिकायत हो तो विभाग के अधिकारियों को शिकायत करें ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

10 एकड़ से अधिक भूमि में बनेगा कृषि संसाधन क्लस्टर

शिमला/शैल। केन्द्रीय खाद्य विधायन उद्योग मंत्रालय की अन्तर मंत्रालय अनुमोदन समिति ने कांगड़ा जिले में लूंज के समीप सालू गांव में मैसर्ज ग्रेट हिमालयन फार्म फ्रैश के नाम एवं पद्धति से कृषि संसाधन क्लस्ट की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि 24.49 करोड़ रुपये के निवेश का यह क्लस्टर 10 एकड़ से अधिक की भूमि में स्थापित किया जाएगा। इस क्लस्टर में 400 लोगों को रोज़गार की क्षमता के साथ बहु वस्तु शीत भण्डारण, गोदाम, दुग्ध शीतल एवं पाश्चरीकृत, छंटाई, ग्रेडिंग तथा पैकिंग की सुविधाएं होंगी। यह क्लस्टर किन्नू, लीची, आम, मटर, आलू इत्यादि जैसे स्थानीय अविक्रय सरप्लस बागवानी उत्पादों के दोहन में मील का पत्थर साबित होगा और राज्य में बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर सृजित करेगा।

प्रदेश में भू-स्खलन से 923 सड़कें बंद

शिमला/शैल। प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा से जान-माल को हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 96.50 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। प्रदेश के सभी उपायुक्तों ने भी

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक अप्रैल, 2018 से लेकर कुल 229 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है और जिलों की आवश्यकता के अनुरूप और धनराशि जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य मुख्यालय पर प्राप्त अंतिम सूचना के अनुसार अब तक विभिन्न जिलों से 16 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है, जिनमें बिलासपुर तथा ऊना जिले में एक-एक, हमीरपुर में दो, मण्डी में चार तथा सोलन जिले में आठ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन के माध्यम से अंतरिम राहत प्रदान की गई है।

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को खराब मौसम के पूर्वानुमान के दृष्टिगत विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों को 14 अगस्त, 2018 को बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को पर्यटक तथा स्थानीय लोगों को नदियों के किनारे नही जाने देने के लिए कदम उठाने व ट्रैकिंग गतिविधियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों, जल व विद्युत आपूर्ति की बहाली के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति व मशीनरी तैनात की गई है तथा उपायुक्तों व सम्बन्धित विभागों को धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में आवश्यक खाद्य सामग्री की कोई भी कमी नही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं लोक निर्माण मनीषा नंदा ने कहा कि प्रदेश में भू-स्खलन के कारण 923 सड़कें अवरूद्ध हैं, जिनमें 6 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी शामिल हैं। विभाग इन सड़कों को शीघ्रातिशीघ्र खोलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और अगर आवश्यक हो तो उपायुक्त सड़कों को बहाल करने व अन्य कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर भी मशीनरी किराये पर ले सकते हैं।

उपायुक्त कुल्लू ने बताया कि मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग भू-स्खलन के कारण अवरूद्ध है और इस मार्ग को खोलने के लिए युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है। कांगड़ा जिले में 85 सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है, जिनमें से अधिकतर सड़कों को जल्द आरम्भ कर दिया जाएगा। पठानकोट-मण्डी सड़क मार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है और लम्बागांव में फसे लोगों को जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं।

शिमला के उपायुक्त ने बताया कि शिमला शहर में अवरूद्ध यातायात को पुन: आरम्भ कर दिया गया है और सभी क्षेत्रों में जल्द विद्युत आपूर्ति को भी बहाल कर दिया जाएगा।

हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र में भू-स्खलन के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है। उपायुक्त ने कहा कि 50 सड़कों को यातायात के लिए चालू कर दिया गया है, जबकि शेष 13 सड़कों को पुन: आरम्भ कर दिया जाएगा।

उपायुक्त सोलन ने बताया कि जिले में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और जिले में 102 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से 62 सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। कुमारहट्टी-नाहन सड़क को भी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है।

बिलासपुर जिले के स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा बिलासपुर-शिमला सड़क पर यातायात बहाल कर दिया गया है, जबकि जिले के अंदरूनी सड़कों को खोलने का कार्य प्रगति पर है। किन्नौर जिले के मालिंग नाला तथा स्कीबा सड़क को बहाल कर दिया गया है और सांगला घाटी की सड़क को भी जल्द खोल दिया जाएगा, जहां कुछ पर्यटक भी फसे हुए हैं।

लाहौल-स्पीति जिला की समदो-काजा-ग्राम्फू सड़क भू-स्खलन के कारण अवरूद्ध है और मलिंग-काजा सड़क को बहाल कर दिया गया है।

मण्डी जिलें में चार व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है। राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 पर हनोगी के निकट मुख्य सड़क पर पानी भरने के कारण यातायात अवरूद्ध है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी तथा तरूण कपूर, सचिव सिचाई एवं जन स्वास्थ्य देवेश कुमार, विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबन्धन डी.सी. राणा व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम में हिमाचल अव्वल

शिमला/शैल। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत महत्वाकांक्षी जिला चम्बा में गहन मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से विशेष टीकाकरण कार्यक्रम का प्रथम चरण 16 जुलाई से 23 जुलाई 2018 तक चलाया गया।

राज्य सरकार का इस संबंध में सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के लाभ से वंचित रह गए दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों व सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाना अभियान का उद्देश्य है। यह अभियान नीति आयोग द्वारा देश भर के 28 राज्यों के 117 महत्वाकांक्षी जिलों को चिन्हित कर पूरे भारतवर्ष में एक साथ चलाया जा रहा है जो तीन चरणों में पूर्ण होगा।

उन्होंने कहा कि देश के इन 117 महत्वाकांक्षी जिलों में हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिला भी शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत ज़िला के 70 गांव चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभियान को जिले के सभी गांवो में चलाने का निर्णय लिया है।

इस अभियान का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर किया जा चुका है जिसके तहत् 70 गांवों में 120 प्रतिशत उपलब्ध बच्चों का टीकाकरण कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गयी है। इसी प्रकार, 126 प्रतिशत उपलब्ध गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में प्राप्त उपलब्धि को केन्द्र सरकार के आकलन के अनुसार देश भर में प्रथम स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि अभियान का दूसरा व तीसरा चरण क्रमश: अगस्त व सितम्बर माह में पूर्ण किया जाएगा।

शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में कारगर साबित होगा 'माँ' कार्यक्रम

शिमला/शैल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में मां कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य बच्चे को कम से कम छ: माह तक स्तनपान करने के लिये मां को प्रेरित करना है।

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि स्तनपान की बेशक लोगों को पर्याप्त जानकारी है लेकिन अभी भी स्वास्थ्य संस्थानों में कराए गए प्रसवों में से केवल 50 प्रतिशत मामलों में ही जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान करवाया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में केवल 60 प्रतिशत शिशु ही 6 महीने की आयु तक स्तनपान कर रहे हैं। छह महीने के बाद सही उम्र में पूरक भोजन पर केवल 40 प्रतिशत शिशुओं को शुरू करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्तनपान की दर कम पायी गई है। शिशुओं को लक्षित कर के स्तनपान और पोषण में सुधार करने बारे यह कार्यक्रम जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ माताओं को अपने परिवार, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता व आसपास के लोगों से मद्द प्राप्त होने में अच्छी भूमिका निभा रहा है। प्रसव के दौरान मां के साथ जन्म सहायकों को साथ रहने की अनुमति देने से शुरूआती स्तनपान शुरू करने में मद्द मिल रही है। इससे राज्य में मातृ और शिशु स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।

प्रवक्ता ने कहा आज लगभग 80 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाने का विकल्प चुनती हैं लेकिन स्तनपान शुरू करने की दर 50 प्रतिशत से कम है जिसमें सुधार की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान सुनिश्चित कराने पर 25 प्रतिशत नवजात शिशु मौतें और 5 वर्ष तक की उम्र के शिशु वर्ग में 13 प्रतिशत मौतें कम की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एक अगस्त से सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में स्तनपान को लेकर सघन जागरूकता अभियान चलाया गया।

धर्मार्थ विरोधी कार्य करने वाला अशांति उत्पन्न करता है।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

वाजपेयी की विरासत पर भाजपा

भारत रत्न पूर्व प्रधान मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पूरा देश शोकाकुल रहा है। हर आंख उनके निधन पर नम हुई है और हर शीश ने उन्हे अपने-अपने अंदाज में नमन किया है। वाजपेयी बहुअयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में समेट पाना संभव नही है। लेकिन वह वक्त के ऐसे मोड़ पर स्वर्ग सिधारे हैं जहां से आने वाले समय में वह राजनीति से जुड़े हर सवाल में सन्दर्भित रहेंगे। वह तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन हर बार सत्ता छोड़ते समय वह कुछ ऐसे नैतिक मानदण्ड छोड़ गये जिन पर उनके हर वारिस का आकलन किया ही जायेगा। खासतौर पर भाजपा नेतृत्व के लिये तो वह एक कड़ी रहेंगे ही। वाजपेयी का स्वास्थ्य लगभग एक दशक से अस्वस्थ्य चल रहा था। पिछले दो माह से तो वह एम्ज़ में भर्ती ही थे। इस दौरान किन लोगों ने उनके स्वास्थ्य की कितनी चिन्ता की कितने और कौन नेता उनका कुशलक्षेम जानने उनसे मिलने गये हैं यह सब आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनेगा यह तय है। उनके परिजनों में से कितने लोग आज भी भाजपा में सम्मानित रूप से सक्रिय हैं यह सब मरणोपरान्त चर्चा में आता ही है क्योंकि ऐसे महान लोगों का मरणोपरान्त भी लाभ लिया जाता है और इस लाभ की शुरूआत इसी से हो जाती है जब केन्द्र से लेकर राज्यों तक हर सरकार अपनी-अपनी सुविधानुसार निधन पर छुट्टी की घोषणा करती है। क्योंकि सभी भाजपा शासित राज्यों भी यह छुट्टी अगल-अलग रही है।

वाजपेयी भाजपा के वरिष्ठतम नेता थे। आडवानी और वाजपेयी ने भाजपा को कैसे सत्ता तक पंहुचाया है यह भाजपा ही नही सारा देश जानता है। यह वाजपेयी-आडवानी ही थे जिन्होने दो दर्जन राजनीति दलों को साथ लेकर सरकार बनायी और चलाई। संघ की विचारधारा के पक्षधर होते हुए भी गुजरात दगों पर मोदी सरकार की भूमिका को लेकर यह कहने से नही हिचकिचाए की मोदी ने राजधर्म नही निभाया है। भले ही इस वक्तव्य के बाद वाजपेयी हाशिये पर चले गये थे। लेकिन उन्होने यह धर्म निभाया। संघ के मानस पुत्र होते हुए भी वाजपेयी शासन में मुस्लिमों की देश के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नही उठा था। वह वास्तव में ही सर्वधर्म समभाव की अवधारणा पर व्यवहारिकता में ही अमल करते थे। यही कारण है कि आज वाजपेयी के जाने के बाद भाजपा के लिये यह मुस्लिम सवाल एक नये रूप में खड़ा है। क्योंकि वाजपेयी के वक्त में भाजपा ने मुस्लिमों को चुनाव में टिकट देने के लिये अछूत नही समझा था। जबकि आज की भाजपा में मुस्लिम चुनावी टिकट के लिये अछूत होने के बाद भीड़ हिंसा का शिकार होने के कगार पर पंहुच गये हैं। वाजपेयी ने सत्ता के लिये अनैतिक जोड़ तोड़ से कैसे कोरे शब्दों में इन्कार कर दिया था इसके लिये उनके निधन पर उनके इस भाषण को सभी चैनलों ने अपनी चर्चा में विशेष रूप से उठाया है।

वाजपेयी के शासन में पहली बार विनिवेश मंत्रालय का गठन हुआ था और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को प्राईवेट सैक्टर को सौंपा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन पर यह आरोप नही लगा था कि वह कुछेक औद्योगिक घरानों की ही कठपुतली बनकर रह गये हैं। जबकि आज मोदी सरकार को अंबानी-अदानी की सरकार करार दिया जा रहा है। रफाल सौदा मोदी और अबानी के रिश्तों की ही तस्वीर माना जा रहा है। वाजपेयी सरकार में करंसी का मुद्रण कभी भी प्राईवेट सैक्टर को नही दिया गया था। जबकि आज नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने करंसी का मुद्रण अबानी की प्रैस से करवाया। आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों का 31000 करोड़ का डुबा हुआ ऋण जिस ढंग से एआरसी लाकर माफ किया गया है ऐसा देश की आर्थिकी के साथ उस समय नही हुआ था। आज सरकारी क्षेत्र की कीमत पर प्रोईवेट सैक्टर को खड़ा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आने वाले समय में देश के सामने आयेंगे जहां मोदी के हर काम को वाजपेयी के आईने से परखा जायेगा।

अभी पन्द्रह अगस्त को मोदी का जो भाषण लाल किले से आया है और उसमें उपलब्धियों के जो आंकड़े देश के सामने परोसे गये हैं अब उन आंकड़ो को हर गांव और हर घर में खोजा जायेगा। जब वह आंकड़े व्यवहारिकता के धरातल पर नही मिलेंगे तब मोदी का एकदम तुलनात्मक आकलन वाजपेयी के साथ किया जाने लगेगा। क्योंकि वाजपेयी जनता को लुभाने के लिये तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नही करते थे। जो दावा किया जाता था वह ज़मीन पर मिल जाता था। जबकि आज मोदी को लेकर यह धारणा बनती जा रही है कि वह कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी जो रूपया डालर के मुकाबले गिरावट की सारी हदें पार करता जा रहा है उसको लेकर जब मोदी के 2013 में दिये गये ब्यानों के आईने में भाजपा से सवाल पूछे जायेंगे तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली होना तय है। ऐसे में देश की जनता वर्तमान भाजपा का आकलन वाजपेयी के कार्यकाल से करने पर विवश हो जायेगी और तब यह एक और सवाल पूछा जायेगा कि जिस मोदी शासन में वाजपेयी के सहयोगी रहे सभी बड़े नेताओं को आज हाशिये पर धकेल रखा गया है उसके हाथों में भविष्य कितना सुरक्षित रह सकता है। आज वाजपेयी की सियासी विरासत को भाजपा कितना सहेजती है और कितना हाशिये पर धकेलती है। आज वाजपेयी के निधन के बाद भाजपा के लिये यह सबसे ज्वलंत प्रश्न होगे। आने वाले दिनों में वाजपेयी की विरासत भाजपा के लिये हर समय एक कड़ी कसौटी बन कर खड़ी रहेगी। भाजपा-मोदी के हर कार्य को वाजपेयी के तराजू में तोलकर देखा जायेगा। वाजपेयी को अब कौन और कितना याद करेगा उसके लिये तो यही कहना सही होगा-

अब कोई याद करे या न करे
हम तो पैमाने पे भी निशां छोड़ चलें

बे-मौसमी सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर हिमाचल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू कर राज्य में कृषि गतिविधियों में विविधता लाने के लिये एक वृहद् योजना आरंभ की है। सरकार विशेषतौर पर बे-मौसमी सब्जी उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के भरसक प्रयास कर रही है, जिसके लिए किसान समुदाय को पर्याप्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोत्साहन कार्यक्रमों तथा योजनाओं के परिणामस्वरूप किसान पारम्परिक फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सब्जी उत्पादन से सालाना 3500-4000 करोड़ का राजस्व सृजित हो रहा है और यह सेब उत्पादक क्षेत्रों में एक वैकल्पिक गतिविधि के रूप में उभरी है। पारम्परिक खाद्य फसलों की तुलना में बे-मौसमी सब्जी की खेती से आमदनी काफी अधिक है। बे-मौसमी सब्जियों से प्रति हैक्टेयर शुद्ध आय 60 हजार रूपये से लेकर दो लाख रुपये तक होती है, जबकि पारम्परिक फसलें केवल आठ हजार रुपये से 10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तक की आय प्रदान करती है।

कृषि के अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण राज्य ने पहले ही टमाटर, खीरा, हरे मटर, बीन, गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, तथा आलू जैसी बे-मौसमी फसलों में पहले ही देश में अपनी पहचान बनाई है, जब इन फसलों की पैदावार मैदानी इलाकों में नही होती है। जून मध्यांतर से सितम्बर के बीच दिल्ली, लुधियाना, जालंधर, करनाल, अंबाला तथा चण्डीगढ़ से मंडियों में सब्जियों की कोई आमद नही होती है। इस दौरान हिमाचल से होने वाली सब्जियों की आपूर्ति के एवज में किसानों को बहुत अच्छे दाम मिलते हैं।

फसलों के सुव्यवस्थित विविधिकरण के लिए कृषि विभाग ने उच्च किस्म के सब्जियों के बीज, ग्राफटिड सब्जी बीज, विदेशी सब्जियों, सूक्ष्म सिचाई प्रणाली को लोकप्रिय बनाने, संरक्षित खेती और बीज ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है।

सब्जी उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र, विशेषकर सब्जी उत्पादन में तीव्र एवं समावेशी विकास हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने संरक्षित खेती के अन्तर्गत सब्जी उत्पादन के लिए 111.19 करोड़ रुपये की लागत की एक अन्य परियोजना आरम्भ की है। अभी तक राज्य में 3286 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं जिनके अन्तर्गत 56 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। सरकार इस परियोजना के अन्तर्गत किसानों को 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। राज्य में 224 करोड़ रुपये की सौर सिचाई योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत लघु व सीमान्त किसानों को 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि मध्यम एवं बड़े किसानों को 80 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों के समूह/किसान विकास संघ/किसानों की पंजीकृत संस्थाओं को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राज्य सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से 174.50 करोड़ रुपये की बहाव सिचाई योजना शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है जिसके अन्तर्गत 7152.30 हेक्टेयर भूमि को निश्चित सिचाई के अन्तर्गत लाकर राज्य के 9580 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

सरकार ने किसानों को खेती के मशीनीकरण के लिए राज्य में 20 करोड़ रुपये लागत से राज्य कृषि यात्रिकरण कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों, महिला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पात्र लाभार्थियों को छोटे ट्रैक्टर, पावर टिल्लर्ज, विडर्ज तथा अन्य आवश्यकता आधारित/अनुमोदित मशीनरी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा।

राज्य ने जल संरक्षण तथा वर्षा जल संग्रहण के लिए केन्द्र सरकार को 4751 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृति के लिए भेजी है। राज्य को प्रथम चरण में 708.87 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है जिसके तहत तीन ज़िलों के कम से कम पांच विकास खंडों में कार्य होगा।

पांच जिलों में फसलों के विविधिकरण के लिए कार्यान्वित की गई जिका-चरण एक परियोजना की सफलता के दृष्टिगत केन्द्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्य सरकार के ये प्रयास और पहल निश्चित रूप से राज्य में बे-मौसमी सब्जी उत्पादन को नए आयाम प्रदान करेगी और हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। इसके साथ ही वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा।

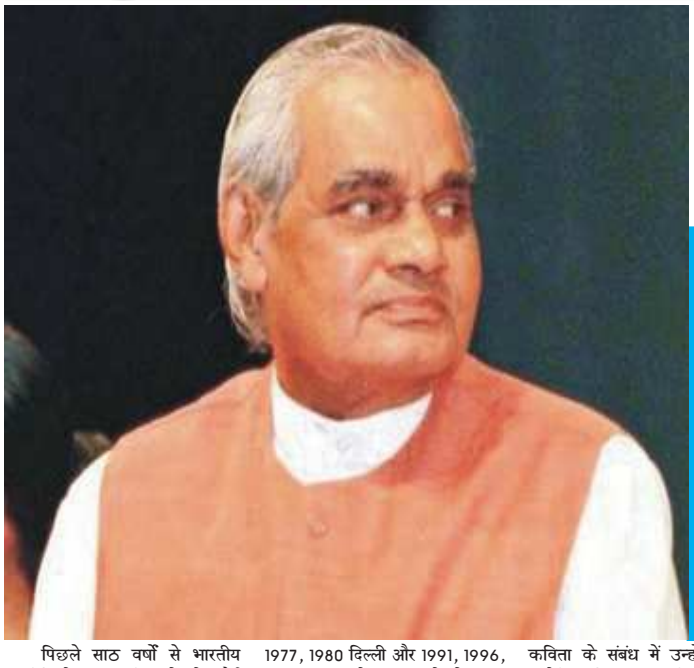

मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सकूं

अटल जी चाहे प्रधान मन्त्री के पद पर रहे हों या नेता प्रतिपक्ष नपी–तुली और बेवाक टिप्पणी करने में कभी नही चूके। भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है–ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो।

पिछले साठ वर्षो से भारतीय राजनीति में अटल जी छाये रहे। धैर्य और साहस के धनी थे। राजनीति में रह कर सभी मर्यादाओं का पालन किया। सभी मित्रों और विपक्षी दलों के साथ मित्रता का सम्बंध बनाये रखा। इनका जन्म दिसम्बर 25, 1924 उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पण्डित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत के घर हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी अध्यापक व हिन्दी व ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे और पितामह पं. श्यामलाल वाजपेयी संस्कृत विद रहे। दोनों का प्रभाव वाजपेयी जी पर था। स्वरास्ती स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद अटल जी ने विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया, इसके बाद उन्होंने कानपूर के डी.ए.वी कॉलेज से इकोनोमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कानूनी शिक्षा पिता के सेवानिवृति बाद बाप बेटे ने एक साथ ली। शिक्षा के पश्चात वाजपेयी आर.एस.एस. से जुड़े। कुछ समय आर्यसभा में रहे। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में बाकि नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। सन 1946 में आर एस एस के प्रचारक बनाये और संडोल भेजा गया। कुछ समय बाद उन्हे लखनऊ का कार्यभार सौंपा। वहां राष्ट्र धर्म पत्रिका के सम्पादक बने। पांचजन्य आरम्भ होने पर अटल जी को इसका सम्पादकीय कार्य दिया गया। यहां उन्हे विशेष ख्याति मिली। वाराणसी से प्रकाशित चेतना, लखनऊ से दैनिक स्वदेश में भी काम किया परन्तु आर्थिक स्थितियां व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगने के कारण यह पत्र बंद हुये। उसके बाद अटल जी दिल्ली आये और वीर अर्जुन में काम किया।

इनकी क्षमता, कार्यशैली, वाकपटुता और बौद्धिक कुशलता को देख कर श्यामा प्रसाद मुकर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय का इनसे सर्म्पक हुया और जनसंघ से जुड़े। वह मुखर्जी के निजी सचिव बने। अटल जी ने मुखर्जी जी के साथ रहकर राजनीति के दाव पेंच सीखे। मुखर्जी जी की मौत बाद अटल जी ने ही भारतीय जनसंघ की बागडौर संभाली और इसका विस्तार पुरे देश में किया। सन् 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परन्तु सफलता नही मिली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नही हारी और सन 1957 में बलरामपुर (जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश) से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुँचे। सन 1962 में सुभद्रा जोशी से हारे परन्तु 1967 में विजयी रहे। सन 1971 में ग्वालियर, सन 1977, 1980 दिल्ली और 1991, 1996, 1998, 2004 में लखनऊ से लोकसभा गये। आठ बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा 1962 तथा 1986 सांसद रहे। सन् 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे बीस वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। सन 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और उत्तर भारत मे कांग्रेस धराशाही हुई और केन्द्र में बनी मोरारजी देसाई की सरकार बनी उसमें सन् 1977 से 1979 तक विदेश मन्त्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनायी। सन 1980 में फूट और चौधरी चर्ण सिंह की प्रधान मंत्री लालसा के कारण पार्टी टूटी और जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। अटल जी उसके संस्थापक बने। सन 1992 में आपको पदम विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 1993 में जनेवा गये सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया। सन 1994 में श्रेष्ठ सांसद के तौर पर गोविंद वल्लभ पंत और लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला। आपातकाल में दूसरी बार जेल गये और जयप्रकाश नारायण व अन्य विपक्षी नेताओं का साथ पाया।

अटल जी तीन बार 1991, 1996 व 1998 में तेरह दिन, तेरह मास और 53 मास 24 दलों के सहयोग से देश के प्रधान मंत्री बने। आपका नाम विदेश में चर्चित रहा। आपके अंतिमकार्य काल में गुजरात, छतीसगड, मध्यप्रदेश, हिमाचल, राजस्थान में भाजपा की जीत रही।

अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ होने के साथ–साथ एक कवि भी थे। मेरी इक्यावन कविताएँ अटल जी का प्रसिद्ध काव्यसंग्रह थे। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता एवं रसास्वाद के गुण विरासत में मिले हैं। उनके प्रकाशित कार्यों में काइडी कविराई कुंडलियन शामिल हैं, जो 1975–77 आपातकाल के दौरान कैद किए गए कविताओं का संग्रह था, और अमर आग है। अपनी कविता के संबंध में उन्होंने लिखा, *''मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए एक निर्वासिन नहीं है। यह हारने वाले सैनिक की निराशा की ड्रमबीट नही है, लेकिन युद्ध योद्धा की जीत होगी। यह निराशा की इच्छा नही है लेकिन जीत का हलचल चिल्लाओ''* उनकी गांधी जी पर कविता *''क्षमा करो बापू तुम हम को''* उन्होने एक कविता में लिखा *''प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, कि गैरों को गले न लगा सकूं।''*

इनकी कार्य कुशलता एवं सत्यनिष्ठा के सामने सभी बौने रहे। उन्होने सन 1974 में त्यागपत्र देकर सबको हैरान कर दिया था। कारण बताया कि संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा प्रभावहीन हो चुकी है। कहा कि सता दल रबर मोहर बन गई है। अटल जी के बारे में नेहरू जी का कथन था वाजपेयी की वाणी में सरस्वति है। ये किसी दिन ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे। अटल जी लगभग 55 वर्ष तक संसद से जुड़े रहे हमेशा अच्छी बात पर विरोधी पक्ष की भी प्रशंसा करते थे। बंगला देश बनाने पर इन्दिरा की प्रशंसा की। अटल सबसे लम्बे समय तक सांसद रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बाद सबसे लम्बे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी। वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबन्धन सरकार को न केवल स्थायित्व दिया अपितु सफलता पूर्वक संचालित भी किया।

अटल ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। तेरह दिन की सरकार की चर्चा के समय कहा था मैं लालच हेतू सता नहीं चाहता। इसे ठोकर मारता हूं और त्यागपत्र देने जा रहा हूं।

सत्ता में आने के 1 महीने बाद अटल जी व उनकी सरकार ने मई 1998 में राज्यस्थान के पोखरम में 5 अंडरग्राउंड नूक्लियर टेस्ट करवाए। परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, जिसकी चर्चा देश विदेश में भी जोरों पर रही।

अटल जी द्वारा शुरू किये गए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (NHDP) व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) उनके दिल के बेहद करीब थी, वे इसका काम खुद देखते थे। NHDP के द्वारा उन्होंने देश के चार मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकत्ता को जोड़ने का काम किया। PMGSY के द्वारा पुरे भारत को अच्छी सड़कें मिली, जो छोटे छोटे गांवों को भी शहर से जोड़ती हैं। एक सौ साल से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया। संरचनात्मक ढाँचे के लिये कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि का गठन किया।

राष्ट्रीय राजमार्गो एवं हवाई अड्डों का विकास, नई टेलीकॉम नीति तथा कोकण रेलवे की शुरुआत करके बुनियादी संरचनात्मक ढाँचे को मजबूत करने वाले कदम उठाये। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की। उड़ीसा के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र के लिये सात सूत्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया। ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिये बीमा योजना शुरू की। सरकारी खर्चे पर रोजा इफ़्तार शुरू किया।

कारगिल युद्ध व आतंकवादी हमले के दौरान अटल जी द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी लीडरशिप व कूटनीति ने सबको प्रभावित किया जिससे उनकी छवि सबके सामने उभर कर आई।

1992 में देश के लिए अच्छे कार्य करने के कारण अटल जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में उनको बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला। 2014 में देश के सर्वोच्य सम्मान भारत रत्न से अटल जी को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके जन्म दिन 25 दिसम्बर को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा उनके निवास स्थान पर दिया गया। अटल जी के लिए पहली बार किसी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ कर घर जाकर सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अटल जी को भारतीय राजनीती का भीष्म पितामह कहते है। अटल जी चार अलग अलग प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात व दिल्ली से सांसद चुने गए।

अटल जी उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता व नंदिता के वे बेहद करीब है, अटल जी अपने सभी रिश्तेदारों से भी बेहद लगाव रखते है।

इस महान राजनेता ने अपने जीवन की अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त, 2018 को ली। गौरतलब है कि अटल जी लंबे समय से बीमार थे और साल 2009 में ये स्ट्रोक का भी शिकार हो गए। जिसके कारण इनके सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ा। भारत रत्न से नवाजे गए अटल जी की मृत्यु पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा पूरे देश में सात दिन राजकीय शोक की घोषणा की गई है साथ में ही केंद्र सरकार के कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश भी दिया गया, ताकि ये अधिकारी अटल जी को जाकर श्रद्धांजलि दे सकें।

इसके अलावा कई राज्यों की सरकारों ने भी अपने राज्य में राजकीय शोक घोषित किया है और अपने राज्य के सरकारी स्कूलों और दफ्तरों को भी बंद रखा गया,जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने अपने राज्य में 2 दिनों के अवकाश का ऐलान किया है।

शैल के साथ एक याद

स्व. वाजपेयी कितने विनम्र थे इसकी एक याद शैल के साथ भी जुड़ी है। 1979 में जब शैल का एक साहित्यिक मासिक संस्करण निकाला गया था। उस समय वाजपेयी जी से भी शैल के लिये कुछ लिखने का आग्रह किया गया था हमारे आग्रह का उत्तर उन्होने भेजा था। आज उस उत्तर को अपने पाठकों के साथ सांझी करने का मन हो आया। उने चरणों में शत् शत् नमन के साथ प्रस्तुत है यह उत्तर:–

अटल बिहारी वाजपेयी
भू० पू० संसद् सदस्य
(लोक सभा)

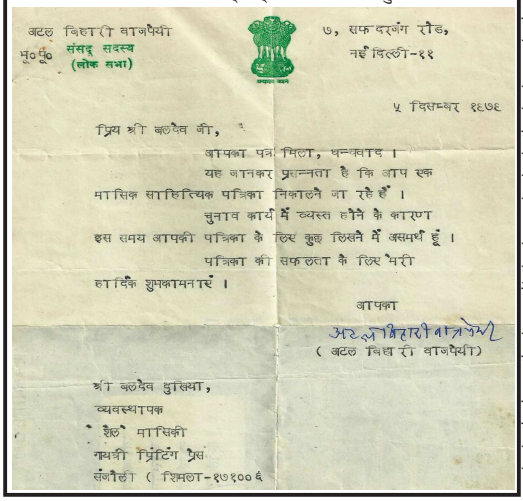

७, सफदरजंग रोड,
नई दिल्ली-११

५ दिसम्बर १९७९

प्रिय श्री बलदेव जी,

आपका पत्र मिला, धन्यवाद।

यह जानकर प्रसन्नता है कि आप एक मासिक साहित्यिक पत्रिका निकालने जा रहे हैं।

चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण इस समय आपकी पत्रिका के लिए कुछ लिखने में असमर्थ हूं।

पत्रिका की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका

अटलबिहारी वाजपेयी
(अटल बिहारी वाजपेयी)

श्री बलदेव दुखिया,
व्यवस्थापक
"शैल" मासिकी
गायत्री प्रिंटिंग प्रेस
संजौली (शिमला-१७१००६

72वें स्वतंत्रता-दिवस

समावेशी विकास की राह पर गतिमान हिमाचल

जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को मेरी और प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं! 15 अगस्त का यह पावन दिवस, हम सब देशवासियों के लिए एक उल्लास का पर्व है। यह अवसर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और विभूतियों को स्मरण करने का भी है, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन देशभक्तों का बलिदान, हम सब देशवासियों को अपने महान देश की गर्व के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करता है।

यह गर्व की बात है कि हिमाचल के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया था। हिमाचल में हुए धामी गोली कांड, प्रजामण्डल आन्दोलन, सुकेत सत्याग्रह तथा पझौता आन्दोलन ने उस समय देश का ध्यान आकर्षित किया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के आठ माह के उपरान्त हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। उस समय यह प्रदेश आर्थिक तंगी और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था। परन्तु, मेहनतकश एवं ईमानदार पहाड़ी लोगों ने दृढ़ इच्छाशक्ति से सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए, चुनौतियों को सुअवसरों में बदला। आज यह प्रदेश निरन्तर प्रगति के पथ पर गतिमान है।

27 दिसम्बर, 2017 को वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता सम्भालते ही प्रदेशवासियों में नई आशाओं एवं आकांक्षाओं की उम्मीद जगी। प्रदेश में सुशासन और जनसेवा के एक नए युग का उदय हुआ है। प्रदेश सरकार ने भी अपने दायित्व को बखूबी निभाते हुए लोगों के विश्वास को और पुख्ता किया है।

सत्ता सम्भालते ही, हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र-2017' को सरकार का नीति दस्तावेज बनाया और 'सबका साथ-सबका विकास' की मूल अवधारणा को समक्ष रखकर, कार्य आरम्भ किया। विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की नीति निर्धारित करते हुए सभी विभागों को 100 दिन के लक्ष्य दिए गए ताकि सरकारी तंत्र को जन कल्याण के प्रति सक्रिय किया जा सके। सभी विभागों ने अच्छा प्रदर्शन करके यह सिद्ध कर दिया कि सही नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से सब कुछ संभव है। इससे प्रदेश में कार्य-संस्कृति का माहौल विकसित हुआ है और अधिकारीगण 'लीक से हटकर' सोचने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश हित में, आवश्यकता के अनुसार अभिनव योजनाएं तैयार हो रही हैं।

सुशासन से जनता की सेवा, कृषकों व बागवानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि गतिविधियों में विविधता, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, बेहतर कानून-व्यवस्था, सभी बेघरों को आवास सुविधा, ड्रग, खनन एवं वन माफिया पर नियंत्रण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्ता आधारित शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा, कमजोर वर्गों का उत्थान, प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल तथा सभी पंचायतों को वाहन-योग्य सड़क से जोड़ना, हमारी सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुसार, हमारी सरकार कार्य कर रही है और मुझे खुशी है कि पिछले सात महीनों में हमारे प्रयासों को सराहा गया है।

हमारी सरकार ने सत्ता सम्भालते ही, महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने, खनन व ड्रग माफिया और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'शक्ति बटन ऐप' तथा 'गुड़िया हेल्पलाइन-1515' आरम्भ की गई है। वन माफिया, खनन माफिया तथा ड्रग माफिया के विरुद्ध सख्ती से निपटने के लिए 'होशियार सिंह हेल्पलाइन-1090' आरम्भ की गई है।

विभिन्न विभागों की योजनाओं-परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा एवं निगरानी के लिए हमने कारगर व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 'मुख्यमंत्री डैशबोर्ड' के माध्यम से विकास योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में,निर्माण गुणवत्ता निगरानी सेल गठित किया गया है। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के उद्देश्य से अधिकतर विभागों में नागरिक सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं।

9 मार्च, 2018 को विधानसभा में प्रस्तुत अपने पहले ही बजट में हमने, आम जन के कल्याण के लिए 30 नई योजनाएं आरम्भ करने की घोषणा की थी। इन योजनाओं में से अधिकांश पर कार्य आरम्भ हो चुका है। जन मंच, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना तथा मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना विशेष रूप से लोकप्रिय हुई हैं।

जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से आरम्भ 'जन मंच' बड़ा उपयोगी एवं कारगर सिद्ध हुआ है। यह हर्ष की बात है कि यह कार्यक्रम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ-साथ सरकार को फीडबैक प्रदान करने का बेहतर माध्यम साबित हो रहा है।

मंत्रियों के नेतृत्व में हर माह प्रत्येक जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में जन मंच आयोजित किए जा रहे हैं। जन मंच के दौरान समस्त ज़िला अधिकारी उपस्थित रहते हैं, जिससे जनता की शिकायतों को मौके पर निपटाने में सहायता मिल रही है। अब तक तीन जन मंच आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। जन मंच की प्रासंगिकता और महत्ता को देखते हुए, मैं स्वयं इस कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा कर रहा हूं ताकि जन मंच को और भी प्रभावी बनाया जा सके।

हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के स्वावलम्बन की दिशा में विशेष प्रयास आरम्भ किए हैं। हमने प्रदेश की गृहिणियों को चूल्हे के धुएं से निज़ात दिलाने के लिए, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत उन सभी पात्र परिवारों को घरेलू गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए जा रहे हैं, जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पाए हैं और जिनके पास अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस योजना से जहां पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी, वहीं ग्रामीण महिलाओं को ईंधन की लकड़ी जुटाने में होने वाले कठिनाइयों से भी छुटकारा मिलेगा।

हमने युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग के हिमाचली युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत में 40 लाख रुपये तक के संयंत्र तथा मशीनरी के निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजी उपदान दिया जा रहा है, जबकि महिलाओं के लिए यह उपदान अधिकतम 30 प्रतिशत है। इस वर्ष इस योजना पर 80 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

प्रदेश के युवाओं को रोज़गार पाने के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। 640 करोड़ रुपये की एक और महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना, एशियन विकास बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में एक लाख से भी ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

सात महीनों की इस छोटी सी अवधि में, हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि यह रही है कि हम केन्द्र सरकार से लगभग 6310 करोड़ रुपये की छः बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत करवाने में सफल हुए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने हिमाचल को एन.डी.आर.एफ. की एक बटालियन स्वीकृत करके तोहफा दिया है, जिससे जहां प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे वहीं आपदा की स्थिति से तुरन्त निपटने में सहयोग मिलेगा।

प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में, प्रदेश को परियोजनाओं के रूप में इतनी बड़ी अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई है। प्रदेश में विकास की गति तेज़ करने हेतु केन्द्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए, राज्य सरकार तथा प्रदेशवासी उनके आभारी हैं।

हिमाचलवासी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिल के बहुत करीब हैं और वह इस प्रदेश की कठिनाइयों, चुनौतियों और आवश्यकताओं से भली-भांति अवगत हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार से प्रदेश को उदार सहायता प्राप्त हो रही है। एम्स, बिलासपुर तथा 69 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति इसका जीवंत उदाहरण हैं।

अभी हाल ही में, केन्द्र से 1688 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना तथा 423 करोड़ रुपये की समेकित खुम्ब विकास परियोजना स्वीकृत हुई हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बागवानी विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

इसके अलावा, प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र को प्रेषित 4751 करोड़ रुपये की जल संरक्षण एवं वर्षा जल संग्रहण परियोजना के प्रथम चरण में 708.87 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसे मण्डी, हमीरपुर और बिलासपुर ज़िलों के चयनित पांच विकास खण्डों में लागू किया जाएगा।

प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को और बल प्रदान करने के लिए 224 करोड़ रुपये की नई 'सौर सिंचाई योजना' तथा 174.50 करोड़ रुपये की 'बहाव सिंचाई योजना' स्वीकृत की गई हैं, जिसके तहत किसानों को 90 प्रतिशत तक का उपदान देने का प्रावधान किया है।

हमने कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं आरम्भ करके तथा सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर बल देकर वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र में विविधता लाने के उद्देश्य से प्रदेश में रेशम पालन, मधुमक्खी-पालन तथा पुष्प उत्पादन के लिए नई प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में, पर्यटन अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक, साहसिक व सांस्कृतिक पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाओं के दृष्टिगत, हमारी सरकार ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। 50 करोड़ रुपये की 'नई राहें-नई मंजिलें' नामक नई योजना आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत पर्यटकों को प्राकृतिक वैभव से भरपूर अनछुए क्षेत्रों में जाने के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। अभी हाल ही में, केन्द्र सरकार से स्वीकृत 1892 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी पर्यटन विकास परियोजना इस दिशा में वरदान सिद्ध होगी।

प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'एयर कनेक्टिविटी' के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए शिमला से चंडीगढ़ के बीच हेली-टैक्सी सेवा आरम्भ की है। अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थलों के लिए ऐसी सेवाएं आरम्भ करने के प्रयास जारी हैं। उड़ान-II योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पांच और हेलीपैड बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाया जा चुका है। प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय हवाई-अड्डे के निर्माण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश में बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सड़कों के विस्तार और सुधार का व्यापक कार्य चल रहा है। सड़कों की मुरम्मत के लिए अभी तक 200 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस वर्ष 600 कि. मी. नई सड़कें बनाने तथा 40 नए गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नए स्वीकृत 4312 कि. मी. लम्बे 69 राष्ट्रीय राजमार्गों में से अधिकांश राजमार्गों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए जा चुके हैं।

प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने सत्ता संभालते ही, इस दिशा में प्रयास आरम्भ कर दिए थे। मन्त्रिमण्डल की पहली बैठक में ही, वृद्धजनों की बिना किसी आय सीमा के, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आयु सीमा को, 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया, जिससे एक लाख 30 हज़ार वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। इन्हें अब 1300 रुपये मासिक की दर से बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। इस समय लगभग 4 लाख 47 हजार पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में अन्य कमजोर वर्गों के अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब मुस्लिम परिवारों की लड़कियों के निकाह के लिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से 25 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने इस दिशा में प्रयास आरम्भ कर दिए हैं। हाई स्कूलों तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 'मल्टीमीडिया टीचिंग-यंत्रों' के माध्यम से स्मार्ट क्लास रूम विकसित किए जा रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों-शिक्षकों का अनुपात बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। शिक्षकों की भर्तियां लगातार की जा रही हैं।

प्रदेश में मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र नामक नई योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्रों, जहां नवोदय विद्यालय अथवा एकलव्य विद्यालय नहीं हैं, चरणबद्ध ढंग से एक आदर्श आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। प्रथम चरण में 10 आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें से पांच विद्यालय केवल छात्राओं के लिए खोले जाएंगे। इस वर्ष इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। चिकित्सकों और पैरा-मेडिकल स्टाफ भरने की प्रक्रिया जारी है। इस अवधि में डाक्टरों के अनेक पद भरे जा चुके हैं। अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आई.जी.एम.सी., शिमला में चौबीस घण्टे 330 जेनेरिक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'स्वास्थ्य में सहभागिता' नामक नई योजना आरम्भ की गई है, ताकि इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार की दिशा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री आशीर्वाद नामक नई योजना आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत सभी नवजात शिशुओं को 1500 रुपये मूल्य की 'नव आगन्तुक' किट प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं विशेषकर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन-धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना तथा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करके हम पूरा लाभ उठा रहे हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत अभियान को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

हमारा यह सुन्दर प्रदेश देवभूमि के अलावा, वीरभूमि भी है। प्रदेश के युवा सेना व सुरक्षा बलों में सेवा करने में गर्व महसूस करते हैं। प्रदेश के जवानों ने जरूरत पड़ने पर देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इन वीरों की शौर्य गाथाएं हम सबको गौरवान्वित करती हैं और हम सब में राष्ट्र-प्रेम की भावना जागृत करती हैं।

प्रदेश में सेना में शहीद हुए सैनिकों के परिवारजनों को करुणामूलक आधार पर सरकारी सेवाओं में रोज़गार प्रदान करने की तर्ज पर हमारी सरकार ने अब अर्द्ध-सैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को भी यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों के कल्याण के प्रति भी वचनबद्ध है।

लम्बे संघर्ष के बाद हासिल आज़ादी को सहेज कर रखना हम सभी का कर्तव्य है। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि हमारे कुछ युवा नशे के जाल में फंस कर पराधीन हो रहे हैं और जीवन की राह से भटक रहे हैं। आज नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए एक आन्दोलन की आवश्यकता है।

इस पावन अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा कि न नशा करेंगे, न करने देंगे। प्रदेश की उन्नति, खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रयास करेंगे, यही हमारे सेनानियों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

आइए! स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर, हम सब संकल्प लें कि प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए, एकजुट होकर इस प्रदेश को प्रगति के शिखर की ओर ले जाने में अपना योगदान देंगे ताकि इस प्रदेश को समावेशी एवं समग्र विकास का एक आदर्श बनाया जा सके।

जय हिन्द! जय हिमाचल!

विकास की राह पर
शिखर की ओर
हिमाचल

72वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई

प्यारे प्रदेशवासियो,

15 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। सन् 1947 में आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी। स्वाधीन भारत का स्वप्न साकार करने के लिए असंख्य स्वाधीनता सेनानियों ने प्राणों की आहुति दी। लम्बे संघर्ष के बाद हासिल आज़ादी को सहेजे रखना हम सभी का कर्त्तव्य है। साथियो! आज हमारे कुछ युवा नशे के मोहपाश में फंस कर जीवन की राह से भटक रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए एक आंदोलन की। हम आज प्रदूषित वातावरण में सांस लेने को भी मजबूर हो गए हैं। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए अपने-अपने स्तर पर ईमानदार प्रयास करना हम सभी का दायित्व है। यदि प्रत्येक हिमाचलवासी पर्यावरण संरक्षण एवं नशे के खिलाफ आंदोलन का प्रहरी बन जाए तो तस्वीर ही बदल जाएगी।

आईए, हम संकल्प लें, नशा न करेंगे, न करने देंगे, नशे का जहर समाज में न घुलने देंगे। हम जल की एक-एक बूंद बचाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे एवं सभी को इसके लिए प्रेरित करेंगे। प्रदेश व देश की उन्नति, खुशहाली और समृद्धि के लिए एकजुट प्रयास करेंगे, यही स्वाधीनता सेनानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या चिट्टों पर भर्ती का दौर शुरू हो रहा है महेन्द्र सिंह के पत्रों से उठा सवाल

शिमला/शैल। क्या प्रदेश में फिर से चिटों पर भर्ती का दौर शुरू हो रहा है? यह चर्चा बागवानी मन्त्री महेन्द्र सिंह के इस आशय से लिखे गये कुछ पत्रों के वायरल हो जाने से उठ निकली है। महेन्द्र सिंह ने यह पत्र अपने चुनाव क्षेत्र धर्मपुर के तीन गांवो के चार लोगों को लिखे हैं। इन पत्रों में इन लोगों से कहा गया है कि वह संलग्न प्रपत्र को भरकर बागवानी विकास परियोजना निदेशक को 20 जून तक भेजें। इस प्रपत्र के मुताबिक आवेदन करने वाले को अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ लगाना होगा। मंत्री ने अपने पत्र में इन लोगों को केवल इतना ही आश्वस्त किया है कि यदि उन्हे यह अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो तो वह मंत्री को इससे अवगत करवायें। मंत्री यह अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करवाने में उनकी सहायता करेंगे।

मंत्री ने अपने पत्र में यह नही कहा है कि यह अनुभव प्रमाण पत्र हालिस करने से निश्चित रूप से उन्हे नौकरी भी मिल ही जायेगी। अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि होने से विधायक के नाते यह उनका दायित्व बनता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की सहायता करें और यह सहायता करने में कुछ भी अनुचित नही है। क्योंकि यह पत्र उन्होने अपने लोगों को लिखा है। यदि यही पत्र उन्होने परियोजना के निदेशक को निर्देश देते हुए लिखे होते तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती। तब इन पत्रों को सीधे तौर पर सिफारिश और निदेशक पर दबाव करार दिया जा सकता था। लेकिन महेन्द्र सिंह इस समय केवल अपने क्षेत्र के विधायक ही नही वरन् पूरे प्रदेश के मंत्री है। इस नाते जितनी चिन्ता रोज़गार को लेकर उन्होने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति दिखायी है उनकी और वैसी ही चिन्ता उनसे पूरे प्रदेश को लेकर अपेक्षित है। यदि वह ऐसी चिन्ता प्रदेश के सभी बेरोज़गारों के प्रति नही दिखाते हैं तो उनके इन पत्रों को 1993 के दौर की तरह चिट्टों पर भर्ती का प्रयास ही करार दिया जोयगा।

महेन्द्र सिंह के यह पत्र परियोजना निदेशक को नही लिखे गये हैं जिससे यह कहा जाये कि उस कार्यालय के माध्यम से यह पत्र वायरल हुए हैं। यह पत्र उनके अपने कार्यालय या आवास से सीधे संबंधित लोगों को लिखे गये हैं और फिर भी वायरल हो गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके हर कदम पर बारिकी से नज़र रखी जा रही है। यह स्थिति अकेले महेन्द्र सिंह की ही नही है बल्कि अन्यों के साथ भी यह हो रहा है। बागवानी मन्त्री ने पिछले दिनों जिस तरह की चिन्ता बागवानी विकास परियोजना को लेकर व्यक्त की हैं और यह सवाल उठाया है कि जिस विभाग ने विकास को लेकर परामर्श पर ही सौ करोड़ रूपया खर्च कर दिया है उसके अनुरूप उन्हे प्रदेश में विकास दिखाई नही दिया है। विभाग की एक सोसायटी में रखे गये सेवानिवृत कर्मचारियों को दिये जा रहे 50,000 से 80,000 हजार तक के वेतन को लेकर भी सवाल उठाये गये हैं। बल्कि दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में इस सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद जनवरी के पहले ही सप्ताह में विभाग में हुई कुछ नियुक्तियों की मन्त्री तक को जानकारी न होने पर भी सवाल उठे हैं और इन्ही सवालों के परिदृश्य में मंत्री ने विभाग के कई कार्यो की जांच करवाने तक का भी दावा किया है।

मंत्री के यह दावे कितने पूरे होते हैं और उनमें क्या निकलता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इस समय मंत्री के जो पत्र वायरल हुए हैं। उनसे मंत्री के सारे दावों और प्रयासों की गंभीरता पर जहां प्रश्नचिन्ह लग रहा है वहीं पर यह भी आशंका बराबर बनी हुई है कि उनके प्रयासों को बीच में रोकने का भी पूरा प्रबन्ध किया रहा है।

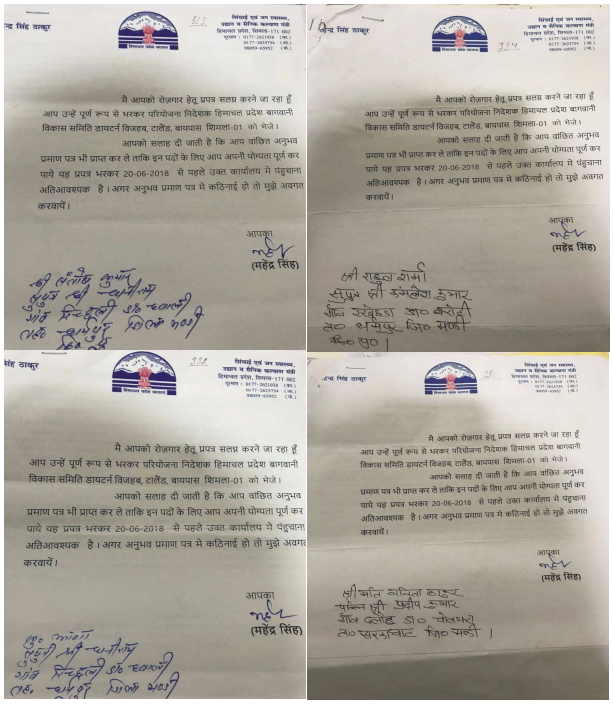

बीस माह बाद भी नही मिले डॉ.कपूर को सेवानिवृति लाभ

शिमला/शैल। राज्य सरकार का शीर्ष प्रशासन कितना असंवदेनशील और शोषक होता जा रहा है इसका, खुलासा सेवानिवृत एचएएस अधिकारी डा. राकेश कपूर द्वारा प्रधान सचिव कार्मिक को लिखे पत्र से सामने आया है। इस पत्र के अनुसार डा. कपूर द्वारा अपना सरकारी आवास 28.6.2017 को खाली कर दिया था और इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग के संबधित कनिष्ठ अभियन्ता कुसुम्पटी के कार्यालय को इस आशय के छः पत्र लिखकर दे दी थी। इसी के साथ नगर निगम शिमला और राज्य विद्युत बोर्ड से भी एनओसी हासिल करके दे दिये थे और आवास का किराया भी चैक द्वारा अदा कर दिया गया था। लेकिन अब 7.8.18 को डा. कपूर को सरकार की ओर से एक पत्र भेज कर आवास का 65000 रूपये किराया अदा करने का नोटिस दिया गया है और साथ ही यह कहा गया है कि यदि पैसा जमा न करवाया गया तो इसे उनके सेवानिवृति लाभों में से काट लिया जायेगा जो अभी तक उन्हे दिये नही गये हैं। डा. कपूर 31.12.2016 को सेवानिवृत हुए थे और 28.6.17 को उन्होने आवास भी खाली कर दिया था। लेकिन 20 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हे सेवानिवृति लाभ नही दिये गये हैं। आवास के किराये का 65000 रूपये का बकाया मकान खाली कर देने के बाद का निकाला गया है क्योकि संबधित कनिष्ठ अभियन्ता ने इसकी सूचना आगे सरकार को नही भेजी। जबकि 28.6.17 को मकान खाली करने के साथ ही उन्होने अन्य एनओसी भी हासिल कर लिये थे और पूरा किराया चैक से अदा कर दिया था। कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय ने आगे सूचना क्यों नही भेजी इसका पूरा कारण डा. कपूर ने अपने पत्र में लिखा है। सरकार ने संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय से कारण जानने की बजाये डा. कपूर को 65000 रूपये का नोटिस थमा दिया है।

यही नही डा. कपूर के खिलाफ पिछले सोलह वर्षो से एक विभागीय जांच चल रही है जिसका अब तक प्रशासन निपटारा नही कर पाया है। जबकि जिस आरोप को लेकर यह जांच चल रही है उसी आरोप पत्र में वह सर्वोच्च न्यायालय से 22.11.2012 को वरी हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद विभागीय जांच चल रही है क्योंकि सरकार में ऐसा नियम नही है कि अदालत से बरी होने के साथ ही उसी संबंध में सरकार में चल रहा मामला भी बन्द हो जाये। डा. कपूर इस संबंध में राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग को दर्जनों बार पत्र लिख चुके हैं लेकिन आज तक न तो यह जांच पूरी की जा रही है और न ही बन्द। यदि जांच पूरी होने पर डा. कपूर को विभाग दोषी भी पाता है तो वह उसके खिलाफ अदालत में जाकर न्याय पा सकते हैं। लेकिन जिस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़े ही समय में निपटा दिया उसे निपटाने में सरकार को सोलह वर्ष से भी अधिक का समय क्यों लग रहा है। क्या कुछ लोग जानबूझ कर उन्हे न्याय नही मिलने देना चाहते हैं। इस आशंका की पुष्टि इसी तथ्य से हो जाती है कि जब एक व्यक्ति को उसके सेवानिवृति लाभ 20 महीने तक न दिये गये हो। जबकि सेवानिवृति लाभ तो उस सूरत में भी नही रोके जा सकते हैं यदि व्यक्ति के खिलाफ नियम 14 के तहत भी जांच चल रही हो। सेवानिवृति लाभों को रोका जाना अपने में ही एक अपराध है। डा. कपूर के पत्र से सरकार का शोषक चेहरा पूरी तरह सामने आ जाता है।

बीपीएल प्रकरण पर जिम्मेदार नगर निगम सदन और जांच सचिव की

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला में जब गरीब परिवारों के लिये बीपीएल योजना के तहत बनाये गये आवासों का आंवटन किया गया था तब निगम की बीपीएल सूची पर ही गंभीर आरोप लगे थे। इन आरोपों पर निगम के हाऊस में चर्चा आयी थी और सदन ने 25.4.2008 को हुई अपनी पहली ही बैठक में निगम की सचिव के खिलाफ जांच करवाये जाने के आदेश दिये थे क्योंकि बीपीएल कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी सचिव के पास थी। निगम के सदन के आदेश पर संयुक्त आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। संयुक्त आयुक्त ने 10.7.2018 को जांच शुरू की और 12.7.2018 को इस पर फैसला भी दे दिया।

संयुक्त आयुक्त विकास सूद की जांच रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे सामने आये हैं। सबसे पहले यह सामने आया है कि 2012 तक बीपीएल कार्ड जारी करने के लिये आयुक्त/संयुक्त आयुक्त ही अधिकृत थे। लेकिन 15.5.12 को यह जिम्मेदारी निगम की सचिव को दे दी गयी। दूसरा बिन्दु यह आया है कि निगम में बीपीएल परिवारों का सर्वे 2007 में एक एनजीओ **समीक्षा** द्वारा करवाया गया था। समीक्षा को यह कार्य 10.7.2008 को निगम के सदन की स्वीकृति से दिया गया था। समीक्षा ने 3050 परिवारों का सर्वे किया था। जिसे 13 जून 2008 को एसीएस(यूडी) ने भी अनुमोदित किया था। जांच रिपोर्ट में यह भी समाने आया है कि निगम के सदन ने प्रस्ताव संख्या 3 (3) दिनांक 27.7.2011 को यह पारित किया था कि हिमाचली प्रमाणपत्र औरआय प्रमाण पत्र पर बीपीएल कार्ड जारी कर दिये जायें। लेकिन बीपीएल के लिये जो दिशा निर्देश जारी किये गये थे उनके मुताबिक वार्ड संभाएं गठित करके उनकी सिफारिश पर ही यह कार्ड जारी किये जाने थे। परन्तु नगर निगम में यह वार्ड सभायें एमसी एक्ट 1994 के मुताबिक आज तक भी गठित ही नही हुई है। फिर बीपीएल कार्डो की वैधता भी केवल एक वर्ष रखी गयी है यह भी जांच रिपोर्ट में सामने आया है।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब एमसी एक्ट के मुताबिक बीपीएल कार्ड वार्ड सभाओं की सिफारिश पर ही दिये जाने हैं और उनकी वैधता भी केवल एक वर्ष ही है तो फिर 2007 में एनजीओ समीक्षा से यह सर्वे क्यों करवाया गया। जबकि बीपीएल नीति के तहत इसकी आवश्यकता ही नही थी। यदि सर्वे की आवश्यकता थी तो फिर यह सर्वे 2007 के बाद क्यों नही करवाया गया। फिर बीपीएल कार्ड की वैधता केवल एक ही वर्ष क्यो रखी गयी। क्योंकि जब बीपीएल को आधार बनाकर ही शहरी गरीबों को आवास आदि की सुविधा दी जानी है तो क्या यह सुविधा और सूची हर वर्ष बदलती रहेगी। जब निगम के सदन में यह मुद्दा आया तब इस पर कोई ठोस और स्थायी नीति बनाने की बजाये सदन ने अपनी जिम्मेदारी सचिव पर क्यों डाल दी। जिस कार्य के लिये सदन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये था उसके लिये सचिव की जांच क्यों? आज तक वार्ड सभाएं गठित नही हो पायी हैं ऐसे में आज बीपीएल कार्ड क्या हिमाचली और आय के प्रमाण पत्रों पर ही जारी नही किया जायेगा।